

न्यायालय सभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2022/112

1. अरुण कुमार पुत्र कजोडमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. अशोक कुमार पुत्र कजोडमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र प्रमूदयाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. राधा देवी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. मंजू देवी पत्नी कैलाशचन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. सुशीला देवी पत्नी बनवारी लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. महेन्द्र पुत्र स्व. प्रमूदयाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. बनवारी शर्मा पुत्र स्व. प्रमूदयाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. कैलाश शर्मा पुत्र स्व. प्रमूदयाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर।

—अपीलांद्रा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी महोदय आमेर, तहसील कार्यालय, आमेर जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर प्रकरण संख्या 47/2018 निर्णय दिनांक 25.10.2021 बउनवानी अरुण कुमार व अन्य बनाम राज0 सरकार।

उपस्थित—

1. श्री नरेन्द्र कुमार यादव वकील अपीलान्त
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक— 13.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 25.10.2021 के खिलाफ गियाद अधिनियम की धारा-5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

- 2 प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 796 रकबा 0.31 हैक्टयर भूमि में से व्यवसायिक क्रयशुदा आराजी नया खाता संख्या 125 में स्थित खसरा नं. 796/2 रकबा 0.033 है0 के संबंध में तरमीम दुरुस्ती किये जाने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत संपरिवर्तन भूमि अर्थात् व्यवसायिक भूमि का नक्शा दुरुस्त करना क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुये अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश दिनांक 25.10.2021 को दिये गये
- 3 उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 25.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्टस अरुण कुमार पुत्र कजोडमल शर्मा जाति ब्राह्मण वर्ग 0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलान्धीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी आमेर दिनांक 25.10.2021 निरस्त कर पुन सुनवाई का अवसर प्रदत्त करते हुये प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।
- 4 अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉन्डेंट की तलवी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलव किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस के दौरान अपील मीनो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्टस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरुस्ती नक्शा ट्रेस का इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 796 रकबा 0.31 हैक्टयर किस्म चाही जाव प्रथम राजस्व भू अभिलेखों में मोहरी देवी देवा केसरा, हनुगान, रामनारायण पुत्रान केसरा, दुर्गा, छोटा, पुत्रान सुखदेव जाति मीणा निवासीयान निवासी घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर के नाम राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज थी। उक्त आराजी खसरा नंबर 796 रकबा 0.31 हैक्टयर में से 338 वर्गमीटर भूमि को उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा आदेश क्रमांक आरएआई/रूपा (28) 99/1-5 दिनांक 1-1-2000 द्वारा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर दी गई। इस प्रकार प्रार्थीगण खसरा नंबर 796 रकबा 0.31 हैक्टयर में से रूपान्तरित 338 वर्गमीटर भूमि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग में लेते रहे तथा राजस्व भू अभिलेखों में उक्त 338 वर्गमीटर भूमि की खातेदारी भी उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही तथा उक्त खातेदारान ने उपरोक्त आराजी में दुकान नम्बर 1 लगायत 14 भी स्थापित कर ली। उपरोक्त 338 वर्गमीटर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भूमि को प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने तथा प्रार्थी संख्या 3 व 7 लगायत 9 के पूर्वज ने उपरोक्त सम्पूर्ण हिस्से को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से दिनांक 21-09-2000 को तथा 03-10-2002 को क्रय कर मौके पर काबिज हो गये तथा मौके पर प्रार्थीगण प्रत्येक अपने- अपने हिस्सेनुसार काबिज है। प्रार्थीगण ने उक्त सम्पूर्ण व्यवसायिक क्रयशुदा आराजी खाता संख्या नया 125 में स्थित खसरा संख्या 796/2 के बाबत राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने वास्ते एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार जी महोदय आमेर को दिनांक 29-06-2016 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार जी महोदय आमेर ने भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का धिलौंची को पत्र प्रेषित कर उक्त खसरा नम्बर की तरमीम राजस्व नक्शे में करने बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये किन्तु राजस्व नक्शे चारियों ने मौके विपरीत जाकर तरमीम कर दी। जिस पर अपीलान्टस द्वारा सम्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुये मौके पर स्टेट हाइवे की 100 फीट रोड

छोड़ते हुये पुनः तस्मीम किये जाने के आदेश बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपूर्ण पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प में मुकरर कर अपीलार्थीगण को कोई साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलार्थीगण आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थीगण आदेश के अवलोकन मात्र से भी वसुवी साबित है "प्रार्थीगण/अधिवक्ता उपस्थित नहीं है"। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृद्धपीठ ने 2017 आरआरटी पेज 918 के दिशा निर्देशों एव विधि की मशा के अनुसार पक्षकारान को सम्यक सुनवाई करते हुये सम्यक आदेश पारित करने का कानूनी प्रावधान प्रदत्त किया है। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध होने एवं **order against natural justice** होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को बिना पक्षकारान को सूचित किये राजस्व लोक अदालत कैम्प में बिना नोटिस तामिल करवाये बिना ही तथा अपूर्ण पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प में पक्षकारान की अनुपस्थिति में तथा उनकी सहमति के बिना अवैध रूप से राजस्व लोक अदालत कैम्पों की मूल भावना के विपरीत गुणावगुण पर अपीलार्थीगण निर्णय पारित किया है राजस्व लोक अदालत कैम्पों में प्रकरण को उभयपक्षकारान की उपस्थिति में आपसी समझाईस के आधार पर केवल मात्र राजीनामा के माध्यम से ही प्रकरण का निस्तारण करने का मुख्य उद्देश्य होता है। राजस्व नवशो में तस्मीम दुरुस्ती करने का क्षेत्राधिकार पूर्णतः अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त था। धारा 128, 131, 136 यू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ववर्ती राजस्व नवशो के अनुसार वर्तमान राजस्व नवशो में लिपिकीय त्रुटियों को दुरुस्त करने अथवा सायिक नजरी नकशो के अनुसार हाल नजरी नवशो में समान तस्मीम नहीं होने की स्थिति में केवल मात्र राजस्व न्यायालय में ही क्षेत्राधिकार समाहित था।

प्रकरण के वास्तविक निपटारे के लिये तहसीलदार से राजस्व भू अभिलेखो में मौके कब्जे के अनुसार वस्तु स्थिति तलब किया जाना चाहिये था एवं प्रकरण में पक्षकारों को जरिये सम्यक तामिल विधिक सूचना प्रदत्त करते हुये मौके कब्जे एवं राजस्व भू अभिलेखो की वस्तु स्थिति रिपोर्ट तलब किये जाने के पश्चात् ही प्रकरण में पक्षकारो को पूर्णतः साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदत्त करते हुये विधिअनुरूप गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपूर्ण पत्रावली को विधिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर लोक अदालत कैम्प में अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में गुणावगुण पर अवैध अपीलार्थीगण निर्णय पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर 25.10.2021 निरस्त किया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान् को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदत्त करते हुये प्रतिप्रेषित किया जावे।

- 6 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त भूमि संपरिवर्तन भूमि है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत संपरिवर्तन भूमि अर्थात् व्यवसायिक भूमि का नक्शा दुरुस्त करना क्षेत्राधिकार से बाहर माना है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये ही क्षेत्राधिकार से बाहर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के उचित एवं विधिसम्यक अपीलार्थीगण आदेश पारित किये हैं। जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त की जावे।

14
राजकीय अधिवक्ता
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 20.01.2022 को प्राप्त होने से अपीलांत द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही प्रकरण से संबंधित भू-रूपान्तरण के समय प्रस्तुत दस्तावेजात एवं राजस्व नक्शा आदि को तलब कर अवलोकन किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 25.10.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित भू-रूपान्तरण के समय प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(रश्मि गुप्ता)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर